न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 24/2010

वादीगण

1. भंवरलाल पुत्र पुनाराम
2. गोरधनलाल पुत्र पुनाराम
3. लखाराम पुत्र पुनाराम

जातियान माली निवासीगण बेरा राम सागर मगरीया सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. पेमाराम पुत्र देवाराम
2. नेनाराम पुत्र देवाराम
3. मोहनलाल पुत्र देवाराम
4. महेन्द्र पुत्र नेनाराम
5. गणपतलाल पुत्र मोहनलाल
6. बुद्धाराम पुत्र प्रभुराम जातियान माली, निवासीगण बेरा पिपलिया ग्राम धन्धेड़ी, तहसील सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री धर्मीचंद देवासी अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री आनंद भाटी अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 12/05/2022

अधिवक्ता मय वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 5675/6331 रकबा 1.9200 हैक्टर तथा खसरा संख्या 5675/6369 रकबा 0.2300 हैक्टर किस्म बारानी आई हुई है, जिस पर कब्जा काश्त वादीगण का ही है व वादीगण ही इसके मालिक है। वर्तमान में इस कृषि भूमि में वादीगण की सब्जी फसलें खड़ी है, जिसमें प्याज, धणिये, पता गोभी, भिण्डी, ग्वारफली आदि मौके पर है तथा मेहन्दी का रोप भी है तथा रिजगा भी बोया हुआ है, उक्त कृषि भूमि के चारो और धोरा—पाली लगा हुआ एवं मौके पर बाड़ भी की हुई है। इसी कृषि भूमि के पश्चिमी दिशा में चिपता हुआ ही खतरा नम्बर 5675 रकबा 0.4800 हैक्टर किस्म बारानी भूमि पर भी वादीगण का पुराना कब्जा है, तथा खसरा परिवर्तनशील में भी वादीगण का नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण तमाम ग्राम धन्धेड़ी के रहने वाले है तथा बेरा पिपलिया पर ही रहते है जो वादीगण से काफी लम्बे समय से सख्त रंजिश रखते है, तथा वादीगण को हर तरह से परेशान करते है। इसी नियत से प्रतिवादीगण तमाम ने एक राय होकर वादीगण को नुकसान पहुचाने की नियत से दिनांक 13/03/2010 को दिन में 10—12 बजे के बीच में वादीगण की कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर वादीगण के धोर—पाली को बिखेर दिया एवं बाड़ बिखेर दी तथा उपरोक्त कृषि भूमि के पश्चिम में बिल्कुल चिपता हुआ ख0नं0 5675 में नये शमशान कायम करने की नियत से देवाराम पुत्र तेजाराम की

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज0)

मृत्यु होने पर उसकी लाश को लाकर जलाने की कोशिश करने लगे, तब वादीगण ने प्रतिवादीगण को मना किया तो नहीं माने एवं वादीगण को प्रतिवादीगण तमाम मारपीट करने को उतारू हुए। तथा वादीगण की भूमि को आग लगाने की नियत से लकड़िया एवं कांटे लाकर आग लगा दी तथा मृतक देवाराम की लाश को जबरन वादीगण की भूमि में जला दिया। मौके पर वादीगण द्वारा एवं अन्य लोगों द्वारा मना करने पर भी प्रतिवादीगण नहीं माने एवं पत्थर फेंके एवं हमला करने का प्रयास किया। जिस पर वादीगण ने उसी समय एस.डी. एम. सोजत को एवं थानाधिकारी सोजत सिटी को एक लिखित में रिपोर्ट पेश की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। तब वादीगण द्वारा न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोजत के न्यायालय में फौजदारी इस्तगासा करना पड़ा एवं न्यायालय द्वारा मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये गये। ग्राम धन्धेड़ी के ग्रामवासियों के लिये कदीम से एवं माली समाज के लोगो के लिये कदीम से ख0नं0 153 रकबा 3.73 हैक्टर गैर मुमकिन शमशान आये हुए है, इसी स्थान पर मृतक लोगो के दाह–संस्कार ग्रामवासी करते आये है। लेकिन प्रतिवादीगण बिना किसी अधिकार के वादीगण की कृषि भूमि में नुकसान पहुचाने की नियत से एवं परेशान करने की नियत से वादीगण की कृषि भूमि में नये शमशान कायम करना चाहते है। जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पूर्व में भी समस्त बेरेवासियों ने एवं वादीगण ने उपखण्ड अधिकारी सोजत एवं तहसीलदार सोजत को भी प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 5675 की भूमि में नाजायज अतिक्रमण कर नाजायज कब्जा करने से रोकने एवं नये शमशान कायम करने से रोकने के लिये प्रार्थना पत्र दिनांक 15/09/09 को लिखित में दिये थे। जिस पर आर.आई हाल एवं तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार सोजत के आदेश से मौका देखकर रिपोर्ट भी पेश की थी। जिस पर प्रतिवादीगण को नाजायज अतिक्रमण करने से रोका गया था तथा खसरा नंबर 153 शमशान की भूमि में ही दाह–संस्कार करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबन्द किया गया था। इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण लाठी–लकड़ी के बल पर नाजायज कृत्य किये जा रहे है, जिसे स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये रोका जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण को अगर स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये नहीं रोका गया तो भविष्य में किसी भी समय इनके परिवार में या बेरो पर अन्य किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर जबरन वादीगण की इसी कृषि भूमि के अन्दर वादीगण को नुकसान पहुचाने की नियते से और दाह–संस्कार कर आग लगायेगे। तथा उस आग की लपटे वादीगण की बाड़ एवं फसल चिपती हुई नजदीक होने के कारण आग की चिन्गारियां हवा से एवं अन्य तरीके से उड़कर नीचे गिरेगी जिससे वादीगण के फसल में आग लग जायेगी एवं बाड़ जल जायेगी, जिससे वादीगण को भारी नुकसान होगा तथा प्रतिवादीगण को इस स्थान पर एवं वादीगण की कृषि भूमि पर मृतको का दाह–संस्कार करने एवं आग लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। बिनाय दावा दिनांक 13/03/2010 को प्रतिवादीगण द्वारा जबरन लाठी–लकड़ी के बल पर बिना किसी अधिकार के वादीगण की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि में नाजायज तरीके से आपराधिक अतिचार करने की नियत से बाढ़ में व आग जलाने से तथा वादीगण की कृषि भूमि में जबरन मृतक देवाराम का

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

दाह–संस्कार कर वादीगण की फसल में आग लगाने की कोशिश करने से एवं वादीगण को नुकसान पहुचाने की नियत से जबरन नये शमशान इसी वादीगण की कृषि भूमि में कायम करने की कोशिश करने से पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद है। वादीगण के मना करने के बावजूद भी प्रवितादीगण द्वारा जबरन आग लगाई गई तथा ऐलानिया धमकी दी कि "भविष्य में इसी स्थान पर मृतकों के दाह–संस्कार कर वादीगण की भूमि को एवं वादीगण की फसलों को नुकसान पहुचायेगे तथा आग लगाकर वादीगण की फसल जला देंगे, जिससे रोका जाना आवश्यक है एवं प्रतिवादीगण द्वारा धमकिया देने के कारण बिनाय दावा पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद पेश है। वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में स्थित होने से उक्त वाद श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। इस प्रकार राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विरूद्ध प्रति0 पेश करे, सरहद सोजत चक प्रथम तहसील सोजत की खसरा नम्बर 5675/6331 रकबा 1.9200 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 5675/6369 रकबा 0.2300 हैक्टर कृषि भूमि में वादीगण के काश्त कब्जे में कोई दखल नहीं करे तथा वादीगण की फसल को आग लगाकर कोई नष्ट नहीं करें। वादीगण की बाढ़ एवं धोरा–पाली को नहीं बिखेरे तथा वादीगण की कृषि भूमि में एवं इस कृषि भूमि के आस पास किसी भी व्यक्ति का दाह–संस्कार नहीं करे तथा आग नहीं लगावे। तथा वादीगण को नुकसान नहीं पहुचाये। खसरा नम्बर 5675 जो वादीगण का काश्त कब्जा सुदा है, इस कृषि भूमि में भी किसी प्रकार का नाजायज अतिक्रमण नहीं करे तथा नाजायज कब्जा नहीं करे। वादीगण की कृषि भूमि को कोई नुकसान नहीं पहुचाये तथा इस कृषि भूमि में भी किसी तरह से कोई नये शमशान कायम नहीं करे तथा इस कृषि भूमि में भी किसी भी मृतक का दाह–संस्कार नहीं करे तथा आग लगाकर वादीगण की फसल को नुकसान नहीं पहुचाये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस तलब किया।

प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत किया जिसमें वादपत्र के पैरा संख्या एक का जबाब यह है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में स्थित ख0नं0 5675/6331 रकबा 1.92 हैक्टर तथा ख0नं0 5675/6369 रकबा 0.23 हैक्टर की कृषि भूमि वादीगण की खातेदारी की राजस्व रेकर्ड में दर्ज है अथवा नहीं यह मात्र राजस्व रेकर्ड से ही प्रमाणित की जा सकती है। वादीगण मालिक नहीं है। उक्त कृषि भूमि पर किसका कब्जा है इसकी जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं है। वर्तमान में क्या फसल बोई हुई है प्रतिवादीगण को जानकारी नहीं है। धौरापाली वादीगण द्वारा लगाया हुआ नहीं है। सम्पूर्ण पैरा गलत होने से अस्वीकार है। वादपत्र के पैरा संख्या दो का जबाब यह है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में ख0नं0 5675 अवश्य स्थित है जो वर्तमान में सुकड़ी नदी में स्थित है जो बेरा पिपलिया ही नहीं इस क्षेत्र के लोगो के अन्तिम संस्कार करने के काम में शमशान के रूप में कदीम से लगातार बिना किसी बाधा के अधिकारपूर्ण तरीके से शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में आता रहा है, इस खसरा नम्बर की कृषि भूमि पर वादीगण इस भूमि का उपयोग उपभोग काश्त के रूप

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

में लेता आया है। इसलिए सम्पूर्ण पैरा गलत होने से स्वीकार है। वादपत्र के पैरा संख्या तीन का जबाब यह सही है कि प्रतिवादीगण बेरा पिपलिया के रहवासी अवश्य है लेकिन वादीगण से कभी भी रंजिश नहीं रखी है और न ही वादीगण को कभी परेशान किया है। दिनांक 13/03/2010 को वादीगण की कृषि भूमि में प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं किया और न ही कोई धोरा पाली बिखेरा खसरा नम्बर 5675 तो पहले से कदीम से शमशान के उपयोग की सुकड़ी नदी की भूमि ही है। वादीगण अतिक्रमी के रूप में किसी भूमि पर अपना अधिकार अथवा हक नहीं मांग सकता व इस आधार पर दावा भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इस क्षेत्र में वृद्ध व्यक्ति माली समाज का प्रतिष्ठित पंच देवाराम पुत्र तेजाराम का स्वर्गवास हो जाने पर माफिक सामाजिक परम्परा के अनुसार इसी शमशान की भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण तथा समाज व अन्य गणमान्य लोगो ने उनका अंतिम संस्कार किया था जो कोई नई बात नहीं है। प्रतिवादीगण उस दिन वादीगण के साथ किसी प्रकार की मारपीट करने को उतारू नहीं हुए साथ ही मृतक देवाराम की लाश को वादीगण की भूमि में कतई अंतिम संस्कार नहीं किया इस सम्बन्ध में वादीगण द्वारा अन्य किसी जगह इस्तगासा व कार्यवाही नहीं की और की होगी तो वह झूठी है। इसलिए सम्पूर्ण पैरा गलत होने से अस्वीकार है। वादपत्र के पैरा संख्या चार का जबाब यह है कि इस पैरा में जो खसरा नम्बर 153 रकबा वर्णित किया है वह किस सरहद मौजा का है वह नहीं वर्णित किया है जिसके अभाव में जबाब दिया जाना असम्भव है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को परेशान करने की नियत से कभी भी कोई कृत्य नहीं किया है। वादीगण द्वारा कोई प्रार्थना पत्र दिनांक 15/09/2009 को दी होगी तो प्रतिवादीगण को इसकी जानकारी नहीं है। गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर दी होगी। तहसीलदार के पूर्व की मौका फर्द में भी खसरा नम्बर 5675 को शमशान के उपयोग में लेने हेतु प्रतिवादीगण को कभी भी पाबंद नहीं किया गया था और न ही पाबन्द किया जा सकता है, और स्थाई निषेधाज्ञा के रोका नहीं जा सकता है। खसरा नम्बर 5675 वादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि नहीं है इसलिए प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। वादीगण ने इस पैरा में वादपत्र को धारा 188 व धारा 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत गलत प्रस्तुत किया है धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादीगण को ऐसा कोई वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वादीगण का यह वाद प्रथमदृष्टया ही खारिज योग्य है। वादीगण ने यह उक्त शीर्षक का वाद अतिक्रमी की हैसियत से बिना खातेदारी की घोषणा करवाये प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद प्रस्तुत कर दिया है जो यह वाद खारिज किया जाये। सम्पूर्ण पैरा गलत होने से अस्वीकार है। वादपत्र का पैरा संख्या पांच बिनायदावा का है वादीगण को दिनांक 13/03/2010 को कोई बिनायदावा पैदा नहीं हुआ। प्रतिवादीगण ने वादीगण की भूमि में कोई अतिचार नहीं किया और न ही आग लगाई और जबरन मृतक देवाराम का अंतिम संस्कार भी वादीगण की खातेदारी की भूमि में नहीं किया इसलिए बिना बिनायदावा के वादीगण का यह वाद पोषनीय नहीं होने से वादीगण का उपरोक्त शीर्षक का

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

वाद खारिज किया जावे। वादपत्र का पैरा संख्या छः क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित होने से न्यायालय के ध्यानाकर्षण का है। वादपत्र का पैरा संख्या सात न्याय शुल्क से सम्बन्धित होने से न्यायालय के ध्यानाकर्षण का है। वादपत्र के पैरा संख्या आठ का जबाब यह है कि पैरा संख्या आठ वादीगण ने दावे की डिक्री की ईस्तदुआ है, वादीगण ने गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपरोक्त शीर्षक का यह वाद प्रस्तुत किया है प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जावें। सरहद मौजा सोजत के ख0नं0 5675 वादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि नहीं है वादीगण ने इस ख0नं0 की घोषणा खातेदारी की दावा प्रस्तुत नहीं किया है बिना घोषणा खातेदारी कराये बिना इस ख0नं0 के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है और प्रतिवादीगण को पाबन्द नहीं किया जा सकता है। यह मामला चूकि ख0नं0 5675 सार्वजनिक रूप से शमशान के उपयोग में आती है इसलिए प्रतिनिधिगण के हैसियत से यह वाद वादीगण को प्रस्तुत करना चाहिए था मात्र प्रतिवादीगण को गलत पक्षकार बनाया है जिससे भी स्थाई निषेधाज्ञा का वादीगण का वादपत्र खारिज योग्य है। अगर किसी भी तरीके से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को रोका व पाबन्द किया गया तो प्रतिवादीगण व इस क्षेत्र के आम लोगो को शमशान की भूमि उपयोग उपभोग से वंचित होना पड़ेगा जिससे अपूर्णनीय क्षति होगी व मृत लोगो के अंतिम संस्कार के समय प्रतिवादीगण व इस क्षेत्र के लोगो को भारी परेशानी व कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

उभय पक्षो के लिखित अभिकथन के आधार पर निम्नानुसार तनकी कायम की गई–

1. आया वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है –

जिम्मे वादी––

2. आया ख0न0 5675 की भूमि वादीगण की खातेदारी भूमि नही है तथा वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद लाने का अधिकार नही है–

जिम्मे प्रतिवादी––

3. अनुतोष–

दिनांक 30.05.2011 से वादीगण को शहादत वादी पेश करने के लगातार अवसर दिये गये तदोउपरान्त भी पेश नही करने से दिनांक 03.09.2019 को शहादत वादी बन्द की गई। दिनांक 03.09.2019 से आज दिनांक तक अधिवक्ता प्रतिवादी शहादत प्रतिवादी पेश करने में विफल रहे लिहाजा आज शहादत प्रतिवादी का अवसर समाप्त किया जाकर शहादत प्रतिवादी बन्द की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

बहस अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान प्रतिवादी को अपनी खातेदारी वादस्थ भूमि में दखन अन्दाजी नही करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जबाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी ने वाद खारिज करने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथ पत्र जबाब दावा एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को साबित करने का सम्पूर्ण जिम्मा वादी मय अधिवक्ता वादी का होता है। किन्तु हस्तगत प्रकरण में वादी मय अधिवक्ता वादी शहादत वादी नही कराई है। अर्थात शहादत वादी पेश करने में विफल रहे है। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा भी प्रतिरोधात्मक शहादत प्रतिवादी न करने से पत्रावली में साक्ष्य का अभाव रहा है। लिहाजा अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण का वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाना न्यायोचित समझते हे।

—::आदेश::—

अपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण का वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तीब होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 12/05/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी श्री राजेश मेवाड़ा (आर.ए.एस.)

वादीगण

1. भंवरलाल पुत्र पुनाराम
2 गोरधनलाल पुत्र पुनाराम
3 लखाराम पुत्र पुनाराम
जातियान माली निवासीगण बेरा राम सागर मगरीया सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. पेमाराम पुत्र देवाराम
2 नेनाराम पुत्र देवाराम
3 मोहनलाल पुत्र देवाराम
4 महेन्द्र पुत्र नेनाराम
5 गणपतलाल पुत्र मोहनलाल
6 बुद्धाराम पुत्र प्रभुराम जातियान माली, निवासीगण बेरा पिपलिया ग्राम धन्धेड़ी, तहसील सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :– 24/2010

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री धर्मीचन्द देवासी अधिवक्ता वादीगण तथा श्री आनन्द भाटी अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा **92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** का वादीगण मय वादीगण का वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 12/04/22 को जारी किया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			